

5-525 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपरिधत्त ^{नहीं} प्रकरण में
वकील वादी व वादी गण को न्यायालय में बार बार
अवाजे लगाई गई किन्तु सूचना के बावजूद उपरिधत्त
नहीं होने से दावा अदम्य हाजरी अदम्य पैरवी में खरीत
किया जाता है। पत्रावली फौजदारी नम्बर
से कम हो

५५